भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1408

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन

1408 डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :
श्रीमती डी.के.अरूणा :
श्री इटेला राजेंदर :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में आयोजित सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों की कुल संख्या कितनी है और उनके भौगोलिक वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों सहित अन्य संगठनों के साथ मिलकर जनजातियों के भाषायी संसाधनों, विशेषकर विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन हेतु कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;
(घ) वर्तमान वित्त वर्ष में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और
(ड.) विगत दस वर्षों के दौरान विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय विरासत के संरक्षण और सवंर्धन के संबंध में इन पहलों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अधीन है। योजना के तहत, बुनियादी ढांचे की जरूरतों से सम्बंधित प्रस्ताव, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण गतिविधियों एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं और रीति रिवाजों को संरक्षित और प्रसारित किये जाने हेतु अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों और यात्राओं के आयोजन और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन किया जाता है। "मंत्रालय ने जनजातीय

समुदायों के सामाजिक- सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों की दिशा में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को विभिन्न परियोजनाएं मंजूर की हैं। टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन संस्थान हैं। जनजातीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए टीआरआई द्वारा की गई गतिविधियों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(i) जनजातीय लोगों के वीरता और देशभक्ति पूर्ण कार्यों के लिए सम्मान (अभिस्वीकृति) प्रकट करने और क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, मंत्रालय ने 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के संग्रहालयों को मंजूरी दी है।

(ii) मंत्रालय ने खोज योग्य डिजिटल रिपॉजिटरी (भंडार) विकसित की है जहां सभी शोध पत्र, किताबें, रिपोर्ट और दस्तावेज, लोक गीत, फोटो/वीडियो अपलोड किए जाते हैं। रिपॉजिटरी में वर्तमान में 10,000 से अधिक तस्वीरें, वीडियो और प्रकाशन हैं जो ज्यादातर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए हैं। रिपॉजिटरी को https://repository.tribal.gov.in/ (ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी) और https://tribal.nic.in/repository/ (ट्राइबल रिपोजिटरी) पर देखा जा सकता है।

(iii) नागालैंड के हॉर्नबिल उत्सव, तेलंगाना के मेदाराम जात्रा जैसे राज्य स्तरीय उत्सवों को टीआरआई योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा लोक नृत्यों, गीतों, व्यंजनों, चित्रकला, कला और शिल्प, औषधीय प्रथाओं आदि में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन के अनूठे रूपों के माध्यम से देश भर में जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदर्शित करने के लिए राज्य जनजातीय उत्सव, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया जाता है।

(iv) ट्राइफेड जनजातीय उत्पादकों के आधार का विस्तार करने के लिए राज्यों/जिलों/गांवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और नए उत्पादों की पहचान करने के लिए जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) का आयोजन करता है।

(v) राज्यों के नृवंशविज्ञान संग्रहालय विभिन्न जनजातियों के जीवन और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित करते हैं।

(vi) मंत्रालय प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों को "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)" योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, ताकि जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतर भरण के लिए विभिन्न शोध अध्ययन/पुस्तकों का प्रकाशन/ऑडियो विजुअल वृत्तचित्रों सहित दस्तावेजीकरण किया जा सके और जनजातीय मामलों से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों/संस्थाओं की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक, परंपराओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख): टीआरआई को सहायता की योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने विभिन्न परियोजनाओं/ कार्यकलापों को मंजूरी दी है, जिनमें राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों की कुल संख्या का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट
https://tribal.gov.in/Display_Apex_Minutes.aspx पर देखा जा सकता है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच सीखने की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने के लिए द्विभाषी प्राइमरों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान(ओं) को सहायता' के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की टीआरआई प्राइमर, शब्दकोश तैयार करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण कर रही हैं। इसके अलावा, "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)" योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण सहित अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केंद्र को परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लुप्तप्राय/लुप्त होती भाषाओं की पहचान और दस्तावेजीकरण की गतिविधि शामिल है। संगठन ने कोरकू, निहाली, कोलामी, वादी, हलपति, डुंगरा भीली, धावड़ी, धत्ती, थाली, नाहल और सेहेरिया भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया है।

(घ): चालू वित्त वर्ष हेतु जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन और स्वीकृत निधियां मंत्रालय की वेबसाइट https://tribal.gov.in/Display_Apex_Minutes.aspx पर देखी जा सकती हैं।

(ड.): ये पहल भविष्य की पीढ़ियों के लिए जनजातीय समुदायों की विरासत, रीति-रिवाजों, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करती हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से, जनजातीय समुदाय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि वे सरकार/संगठन की विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं/गतिविधियों के बारे में खुद को अवगत करा सकें, जिससे जनजातीय समुदायों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक सुधार/बेहतरी हो सके।

सरकारी आश्रम विद्यालयों के शिक्षक, संबंधित समुदायों के भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर जनजातीय बोलियों और भाषा में शब्दकोशों और प्राइमरों के विकास में शामिल हैं, जो न केवल जनजातीय भाषाओं को परिरक्षित और संरक्षित करते हैं, बल्कि कक्षा 1 से 3 तक अपनी भाषा/बोली में बुनियादी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके जनजातीय छात्रों की शिक्षा में भी मदद करते हैं और जब वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो उन्हें सुचारू पारण में मदद करते हैं। जनजातीय समुदायों के बीच बहुभाषी शिक्षा को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न जनजातीय भाषाओं में 200 से अधिक प्राइमर और शब्दकोश विकसित किए गए हैं।

राज्य जनजातीय उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जनजातीय कारीगर मेलों और आदि महोत्सव आदि के माध्यम से नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान की गई है और उन्हें बढ़ावा दिया गया है, जिससे वाणिज्यिक पहचान प्राप्त हुई है और साथ ही साथ जनजातियों के लिए आय का सृजन हुआ है, तथा राज्य/जिला/गांव स्तर पर उनकी आजीविका में वृद्धि हुई है। देश भर में जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने के लिए राज्य जनजातीय उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें लोक नृत्यों, गीतों, व्यंजनों, प्रदर्शनियों और चित्रकला, कला और शिल्प, औषधीय प्रथाओं आदि में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। इन सभी गतिविधियों ने न केवल जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन में योगदान दिया है, बल्कि जनजातीय समुदायों के बीच एकता और भाईचारा भी प्रदान किया है।

****